न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम बजरंगसिंह

मुकदमा न. 25/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

21.01.2019	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी (1) बजरंगसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी खतेश्वर बस्ती गंगा शहर बीकानेर मैसर्स– श्री गोविन्द मावा भण्डार पालवास रोड़, सीकर (2) दाउलाल बिस्सा पुत्र दुगरदास (नोमिनी) निवासी साले की होली बीकानेर मैसर्स– द लालजी फुड प्रोडक्टस, 147–148 इण्डस्ट्रीयल एरिया रानी बाजार बीकानेर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ– 952 वस्तु रसगुल्ला (लालजी) के पेड़े का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Misbranded Food का पाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उक्त नमूना के रसगुल्ला हमारे द्वारा तैयार कर विक्रय नहीं किये जा रहे है तथा मिथ्याछाप रसगुल्ला अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद किये गये है, कय किये गये माल/सामान का बिल सलंग्न है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी दाउ लाल बिस्सा के 10,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । 21/1/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official